ई–मेल

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः राम/भू.अ./एल.आर.सी./प–114/भाग–3/15594 दिनांक 01-10-08

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं
राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
एन.आई.सी. कमरा नम्बर 318,
उत्तर पश्चिम खण्ड शासन सचिवालय,
जयपुर ।

विषय :– अपना खाता सोफ्टवेयर वर्जन 5.0 के क्रम में ।
प्रसंग :– आपका पत्रांक : NIC/RSU/LRC/ 2008/4586 दिनांक 14.08.2008
एवं पत्रांक : NIC/ LRC/ 2008/4583 दिनांक 14.08.2008

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में दिनांक 11.09.08 को मण्डल में एल.आर.सी. की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार बिन्दुवार सूचना/ सुझाव निम्नानुसार है :–

1. नये ग्राम की नई चौसाला जमाबन्दी राजस्थान भू–राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 106–107 जारी होने के साथ ही 16 जून से जमाबन्दी बनाने का जो भी अग्रिम रोटेशन प्रारम्भ हो रहा हो, उसी रोटेशन में मूल ग्राम एवं नवीन ग्राम जमाबन्दी नये सिरे से बनाई जावें । इस जमाबन्दी की अवधी चार वर्ष होगी ।

2. नवीन ग्राम बनने से पूर्व मूल ग्राम की जो स्थिति थी, उसके अनुसार नामान्तकरणों का अमल करते हुए मूल ग्राम की जमाबन्दी बनाई जाकर उसे नवीन ग्राम बनने की पश्चातवर्ती स्थिति के अनुसार विभक्त किया जावें एवं नये सिरे से खाता संख्या, खाता योग एवं ग्राम का गोश्वारा दर्ज किया जावें । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मूल ग्राम एवं नवीन ग्राम की जो विभक्त जमाबन्दी होगी वही रोटेशन जमाबन्दी मानी जावेगी एवं इन जमाबन्दियों को बनाने के लिए जो मूल ग्राम की जमाबन्दी नामान्तकरण का अमल करते हुए बनाई गई है, वह चेक लिस्ट मानी जायेगी एवं अधिकार अभिलेख का हिस्सा नहीं होकर प्रतिलिपि जारी करने के लिए मान्य नहीं होगी ।

3. राजस्व (ग्रुप–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 03.10.2007 में नये नक्शे बनाने एवं नई नम्बर अन्दाजी करने की जो व्यवस्था दी गई है, उस पर मण्डल की राय भिन्न है । मण्डल की राय में एक बन्दोबस्त से दूसरे बन्दोबस्त के होने तक मूल ग्राम एवं नवीन ग्राम की जमाबन्दी बन्दोबस्त के नम्बरों को ही मानते हुए विभक्त कर बनाई जानी चाहिये । इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को मण्डल की राय से अवगत करवाया जा रहा है । मण्डल के पत्र पर राजस्व विभाग के निर्देश प्राप्त होने पर ही एन.आई.सी. को सूचित किया जा सकेगा ।

4. निर्धारित रोटेशन से पूर्व जिला, तहसील, भू–अभिलेख निरीक्षकवृत, पटवार मण्डल में परिवर्तन अपव्ययी होगा । अतः उचित होगा उक्त परिवर्तन अग्रिम रोटेशन जमाबन्दी तैयारी के समय कर दिया जावें ।

5. खाता संख्या 1 के जिन खसरा नम्बर की नकल चाही गई है, उससे संबंधित खाता संख्या 1 में अंकित नामान्तकरण नोट के साथ आंशिक नकल जारी की जावें तथा नामान्तरकरण नोट जिन अन्य खसरा नम्बर के सामने अंकित है, उनकी नकल भी साथ में जारी की जावें ।

भवदीय,

उप–निबन्धक (भू.अ.),
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर